न्यायालयः अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, थानागाजी, जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी : मनोज कुमार, आर0जे0एस0
नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या : 1087/2023 (592/2015)
सीआईएस संख्या : 2217/2015

राजस्थान राज्य ब ना म बाबूलाल

अपराध अन्तर्गत धारा 420, 406 भारतीय दण्ड संहिता

भाग प्रथम

क

परिवादी	पूरण योगी पुत्र सोहननाथ योगी निवासी ग्राम नाथूसर तहसील थानागाजी जिला अलवर राज.
प्रस्तुतकर्ता	श्री सुनील कुमार चौधरी, अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त का नाम व पता	1. बाबूलाल शर्मा पुत्र पांचू राम शर्मा निवासी ग्राम नाथूसर तहसील थानागाजी जिला अलवर, राज.।
अधिवक्ता अभियुक्त	श्री मामराज मीना

ख

क्रम संख्या	चरण	दिनांक
1.	प्रकरण संस्थित हुआ	05.10.2015
2.	आरोप विरचित कर सुनाया गया	22.05.2018
3.	साक्ष्य अभियोजन खोली गयी	22.05.2018
4.	अभियोजन साक्ष्य समाप्त की गयी	12.05.2026
5.	परीक्षण अंतर्गत धारा 313 सीआरपीसी	16.05.2026
6.	साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश की गयी	.....
7.	बहस अंतिम सुनी गयी	29.05.2026
8.	अंतिम निर्णय	30.05.2026

ग

अभियुक्त का विवरण

क्र. सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर छोड़े जाने की तिथि	अभियुक्त पर आरोप का विवरण	दोषसिद्धि या दोषमुक्त	दिये गए दण्ड का विवरण (यदि कोई हो तो)	धारा 428 दं.प्र.सं. के परिप्रेक्ष्य हेतु अवधि
1.	बाबूलाल शर्मा			धारा 420, 406	धारा 420,		

				भारतीय दण्ड संहिता	406 भा. दं. सं. में दोषमुक्त		

भाग द्वितीय
अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाहान की सूची

अ–अभियोजन गवाह

रैंक	साक्षी का नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
पी0ड0 1	गिरधारी	161 दं.प्र.सं.
पी0ड0 2	मामराज	161 दं.प्र.सं.
पी0ड0 3	मुक्ताराम	161 दं.प्र.सं.
पी0ड0 4	रामनाथ उर्फ रामनिवास	161 दं.प्र.सं.
पी0ड0 5	प्रहलाद	161 दं.प्र.सं.
पी0ड0 6	चौथमल	161 दं.प्र.सं.
पी0ड0 7	बाबूलाल	161 दं.प्र.सं.
पी0ड0 8	ओमप्रकाश	161 दं.प्र.सं.
पी0ड0 9	रामू जोगी	161 दं.प्र.सं./ फर्द जब्ती
पी0ड0 10	हरिओम	फर्द जब्ती/फर्द गिरफतारी
पी0ड0 11	सचिन शर्मा	अनुसंधान अधिकारी/आरोप पत्र

ब–बचाव पक्ष

रैंक	साक्षी का नाम	साक्ष्य का प्रकार (चष्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)

स–न्यायालय गवाह

रैंक	साक्षी का नाम	साक्ष्य का प्रकार (चष्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
————————		

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श
अ–अभियोजन प्रदर्श

प्रदर्श का क्रम	प्रदर्श संख्या	प्रदर्श का विवरण
1.	प्रदर्श पी–1	कोपी डायरी
2.	प्रदर्श पी–2	161 दं.प्र.सं. सुजानाथ
3.	प्रदर्श पी–3	161 दं.प्र.सं. चोथमल
4.	प्रदर्श पी–4	161 दं.प्र.सं. बाबूलाल
5.	प्रदर्श पी–5	फर्द जब्ती एक कोपी
6.	प्रदर्श पी–6	फर्द गिरफतारी अभियुक्त बाबूलाल
7.	प्रदर्श पी–7	परिवाद पत्र
8.	प्रदर्श पी–8	एफआईआर
9.	प्रदर्श पी–9	फर्द इतला 27 साक्ष्य अधिनियम

–:: निर्णय ::– दिनांक : 30.05.2026

1. यह परिवाद परिवादी पूरण योगी द्वारा न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, थानागाजी में पेश करने पर प्रकरण में न्यायालय द्वारा एफआईआर दर्ज किये जाने के दिये गये आदेश के क्रम में दर्ज एफआईआर संख्या 34/2015 अपराध अंतर्गत अंतर्गत धारा 420, 406 भारतीय दंड संहिता में अनुसंधान होकर आरोप पत्र न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट थानागाजी के समक्ष पेश हुआ। माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर के आदेश से उक्त प्रकरण इस न्यायालय में अंतरित होकर प्राप्त हुआ। प्रकरण का एतद्द्वारा निस्तारण किया जा रहा है।

2. संक्षेपतः प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी पूरण योगी ने दिनांक 06.01.2015 को अप्रार्थीगण/अभियुक्त बाबूलाल शर्मा व शंकर लाल के विरूद्ध परिवाद इस आशय का न्यायालय मे पेश किया कि परिवादी द्वारा अपनी खातेदारी की काश्तकारी आराजीयात को विक्रय किया गया था जिससे परिवादी के पास आराजीयात के विक्रय की राशि 18 लाख रूपये आए थे। अभियुक्त संख्या 1 जो कि परिवादी के गांव का ही निवासी है तथा कार्य डाकघर, एलआईसी आदि के एजेन्ट का कार्य करता है। जिसके द्वारा परिवादी की उपरोक्त वर्णित राशि को हडप करने की नियत व गर्ज से परिवादी के विरूद्ध आपराधिक षडयंत्र रचते हुए व परिवादी के अनपढ होने का नाजायज फायदा उठाते हुए परिवादी से कहा गया कि यदि उपरोक्त वर्णित राशि अभियुक्त संख्या 1 को दे देवे तो अभियुक्त संख्या 1 उपरोक्त

वर्णित राशि से परिवादी के पुत्र, पुत्रियों के नाम एफडी करवा देगा तथा एफडी न करवाने की सूरत में परिवादी को 2/– रूपये प्रति सैंकडा प्रति माह की दर से ब्याज अदा करेगा। जिससे परिवादी को अपने बच्चो के बारे में कोई चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं रहेगी तथा उसके पास आय का भी एक साधन हो जावेगा। अभियुक्त संख्या 1 की उपरोक्त लच्छेदार बातो में फंसाकर परिवादी द्वारा उसे 18 लाख रूपये की राशि दे दी गई। उपरोक्त वर्णित राशि दिये जाने के बाद अभियुक्त संख्या 1 द्वारा परिवादी को कोई एफडीआर परिवादी के बच्चो के नाम करवाकर नहीं दी गई तथा न ही ब्याज की राशि अदा की गई। परिवादी को अभियुक्त संख्या 1 द्वारा मकान के निर्माण के समय 4 लाख रूपये की राशि अदा की गई जो राशि अदा करने के बाद से आज तक परिवादी के बार बार तलब व तकाजा करने के बावजूद भी कोई राशि मूल या ब्याज के मददे अदा नहीं की गई। बार बार निवेदन करने के बाद भी अभियुक्त संख्या 1 द्वारा परिवादी को कोई राशि की अदायगी नहीं करने पर परिवादी द्वारा दिनांक 09.01.2013 को गांव में एक पंचायत बुलाई, जिस पंचायत में अभियुक्त संख्या 1 द्वारा पंचायत द्वारा किए गये निर्णय को मानते हुए परिवादी की अपनी ओर 9 लाख रूपये की राशि बकाया मानते हुए उपरोक्त राशि में से 2 लाख रूपये बैशाख 2013 में देना तय पाया तथा बाकी 7 लाख रूपये दिनांक 09.01.2014 से पूर्व अभियुक्त संख्या 2 जो पचांयत में गारन्टर बना था द्वारा परिवादी को अदा करना तय पाया गया तथा यह भी तय पाया गया कि यदि दिनांक 09.01.2014 से पूर्व परिवादी को उसकी उपरोक्त वर्णित राशि 9 लाख रूपये की अदायगी अभियुक्त द्वारा नहीं की जावेगी तो परिवादी अभियुक्त से अपनी उक्त 9 लाख रूपये पर दिनांक 09.01.2013 से दो रूपया सैंकडा प्रति माहवार की दर से ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी होगा। परिवादी दिनांक 09.01.2013 के बाद से अभियुक्त से अपनी उपरोक्त वर्णित राशि 9 लाख रूपये के बारे में बार–बार तलब तकाजा करता चला आ रहा है। लेकिन अभियुक्त द्वारा परिवादी को हमेशा ही टालबाल का जवाब दिया जाता रहा है। दिनांक 06.12.2014 को जब परिवादी द्वारा अभियुक्त से अपनी उपरोक्त वर्णित राशि की अदायगी के बाबत तलब व तकाजा किया तो अभियुक्त द्वारा परिवादी को उसकी उपरोक्त वर्णित राशि मय ब्याज अदा करने से कतई तौर पर इंकार कर दिया गया। अभियुक्त द्वारा परिवादी को उकसी राशि की अदायगी करने से इंकार करने पर परिवादी द्वारा अपने अधिवक्ता विक्रम सिंह महलावत, अलवर के मार्फत एक रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 08.12.2014 को दिलवाया गया। जिस नोटिस का जवाब अभियुक्त संख्या 1 द्वारा गलत तथ्यों के

आधार पर अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रेषित करवाया गया, जिसकी प्रति संलग्न है। अभियुक्त संख्या 1 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रेषित कराया गया जवाब परिवादी के अधिवक्ता को प्राप्त होने के बाद जब परिवादी द्वारा अभियुक्त से अपनी राशि की अदायगी का तकादा किया तो उनके द्वारा परिवादी को उसकी राशि की अदायगी करने से दिनांक 03.01.2015 को कतई इंकार कर दिया गया। जिस पर दिनांक 03.01.2015 को मुकामी थाना थानागाजी में गया तो वहां अभियुक्त के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए निवेदन किया तो परिवादी को यह कहा गया कि आप अदालत से आदेश लेकर आओ, तभी आपकी रिपोर्ट दर्ज की जावेगी। जिससे यह परिवाद बिना किसी देरी के न्यायालय में पेश किया गया.....आदि पर न्यायालय द्वारा दिनांक 14.01.2015 को उक्त इस्तगासा वास्ते अनुसंधान थाना थानागाजी जिला अलवर को धारा 156 (3) दं0प्र0सं0 में अनुसंधान हेतु भिजवाया गया। जिस पर थाना थानागाजी द्वारा एफआईआर संख्या 34/2015 अपराध अंतर्गत अंतर्गत धारा 420, 406 भारतीय दंड संहिता में दर्ज कर बाद अनुसंधान अभियुक्त बाबूलाल के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 420, 406 भारतीय दंड संहिता में आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अभियुक्त के विरूद्व उक्त अपराध में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. अभियुक्त को अपराध अन्तर्गत धारा 420, 406 भारतीय दंड संहिता के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त ने आरोप से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण को साबित करने के लिए भाग द्वितीय में वर्णित गवाहों के बयान करवाए व दस्तावेजात प्रदर्शित करवाए।

5. अभियुक्त को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षित किया गया तो अभियुक्त ने अभियोजन साक्षियों द्वारा झूठे कथन करना बताते हुए जाहिर किया कि रंजिशवश उसे प्रकरण में झूंठा फंसाया गया है तथा साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश नही करना चाहा।

6. विद्वान अभियोजन अधिकारी एवं विद्वान अधिवक्ता परिवादी ने दौराने बहस तर्क दिया कि गवाहान के कथनों से अभियुक्त के विरूद्व आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित है। प्रकरण में अभियोजन गवाहान के बयानो में तनिक मात्र भी विरोधाभास नहीं है। चश्मदीद गवाहान ने अभियोजन कहानी की ताईद की है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा परिवादी से एफडी कराने के बहाने 18 लाख रूपये प्राप्त करना व उसके पश्चात एफडी नही कराना व मांगने पर

रूपये वापस नहीं लौटाना अभियोजन साक्ष्य से प्रमाणित है। जिससे अभियुक्त द्वारा छल व अपराधिक न्यास भंग का अपराध कारित करना युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होता है। अभियुक्त द्वारा परिवादी के द्वारा दिये गये पैसो का अपने उपयोग उपभोग में लेकर दुर्विनियोग करना भी अभियोजन साक्ष्य से प्रमाणित है। अभियोजन गवाहान से की गई जिरह में बचाव संदेह उत्पन्न करने में असफल रहा है। उक्त तर्को के साथ अभियुक्त को आरोपित अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाकर समुचित दंड से दंडित करने का निवेदन किया। समर्थन में अभियोजन पक्ष ने निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये :–

1. Swaran Singh V/s State of Punjab (2000)5 SCC 668

7. इसके विपरीत दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता बचाव पक्ष का तर्क रहा है कि प्रकरण में अभियोजन गवाहों के बयानों से अभियुक्त के विरूद्ध आरोप प्रमाणित नहीं है। महत्वपूर्ण गवाह पक्षद्रोही घोषित हुए है। प्रकरण में एफडी कराने के बहाने परिवादी से पैसे लिये जाने को किसी भी गवाह ने प्रमाणित नहीं किया है, ना ही इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर है। अभियुक्त को रंजिशवश झूंठा फंसाया गया है। दस्तावेज पंचायत मिटिंग पर अभियुक्त के हस्ताक्षर होना प्रमाणित नहीं है, ना ही अनुसंधान के दौरान कोई एफएसएल जांच हुई है। प्रकरण में ना ही तो छल के अपराध के तत्व और ना ही आपराधिक न्यास भंग के अपराधिक तत्व अभियोजन पक्ष इस प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध स्थापित कर पाया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाहान की साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है तथा गवाहान के बयानो में पैसे किस उददेश्य से दिये गये इस बाबत गंभीर विरोधाभास है। जिस कारण अभियोजन पक्ष अभियुक्त पर आरोपित अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। उक्त तर्को के साथ अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

8. बहस अंतिम सुनी जाकर उभय पक्षो के तर्को पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के निस्तारण हेतु प्रकरण में विचारणीय बिन्दू यह है कि :–

क. ''क्या अभियुक्त ने परिवादी पूरण के द्वारा विक्रय की गई उसकी आराजीयात की राशि 18 लाख रूपये को एफ.डी. करवाने के नाम से परिवादी पक्ष को हानि पहुंचाने के आशय से परिवादी को प्रवंचित करते हुए उक्त राशि को उसे अदा करने के लिए बेईमानीपूर्वक उत्प्रेरित किया ?

ख. क्या अभियुक्त ने परिवादी पक्ष से बतौर एफडी प्राप्त की गई राशि जो

उक्त एफडी के रूप में न्यस्त थी, परिवादी को ना लौटा कर बेईमानी से उसका दुर्विनियोग कर आपराधिक न्यास भंग किया ?

ग. "यदि हां, तो अभियुक्त किस दंड के लिए पात्र हैं ?"

9. प्रकरण में अभियोजन की ओर से गवाह **पी0ड0 1 बाबूलाल** ने अपने सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया कि गिरधारी ने कथन किया कि करीब 14–15 साल पहले की बात है। पूरण ने अपनी जमीन बेची थी जिसके 18 लाख रूपये बाबूलाल को देना बताया था। फिर 1–2 साल बाद में जब बाबूलाल ने पैसे नहीं दिए तो पूरण ने नाथूसर गांव में गांव के सभी लोगो को इकटठा करके बनवारी सरपंच को बुलाकर मिटिंग की थी। जिस मिटिंग में बाबूलाल व पूरण ने बैठकर हिसाब किया था जिसमें बाबूलाल ने 9 लाख रूपये पूरण को देना बताया था। जिन्हें पूरण ने लेना स्वीकार किया था। शेष 9 लाख रूपये बाबूलाल की तरफ निकलते थे। जिन्हें देने बाबत बनवारी सरपंच ने बाबूलाल से कहा कि एक गारंटर बताओ तो बाबूलाल ने अपनी तरफ से शंकर पचोली को गारंटर बताया था। पैसे कितने दिन बाद देने थे उसे याद नहीं है। उक्त मिटिंग में पैसे की लिखा पढी की थी। एक सादा कागज पर प्रदर्श पी 1 है तथा उक्त लिखापढी पर गांव के उपस्थित लोगो व बाबूलाल ने व पूरण ने भी हस्ताक्षर किये थे। बाबूलाल ने पूरण को वापस 9 लाख रूपये वापस दिए या नहीं उसे नहीं पता। **प्रतिपरीक्षा में गवाह** ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि उसके सामने कोई पैसे का लेन देन नही हुआ। प्रदर्श पी 1 में क्या लिखा है, क्या नही उसे नहीं पता। वह तो सुनी सुनाई बात बता रहा है। पुलिस मे बयान हुए या नहीं उसे नहीं पता। पूरण उसके परिवार में भाई बंध है।

10. **गवाह पी0ड0 2 मामराज** ने सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया कि करीब 15 साल पहले की बात है। पूरण योगी ने बाबूलाल को 18 लाख रूपये दिए थे। उक्त रूपये पूरण ने अपनी जमीन बेची थी। बाबूलाल ने कुछ रूपये पूरण को दिए थे बाकी पैसे देने से मना करने पर पूरण ने गांव वालो को इकटठा किया था। गांव वालो की मिटिंग में करीब बीस एक आदमी थे जिनमें वह भी था। मिटिंग में अध्यक्ष गुर्जरों का सरपंच था। मिटिंग में बाबूलाल भी था। मिटिंग में पूरण को बाबूलाल द्वारा 9 लाख रूपये देना तय हुआ था। जिसकी लिखा पढी सादा कागज पर एक कॉपी में हो गई थी। बाबूलाल द्वारा 9 लाख रूपये 1 साल में देना तय हुआ था जिसमें 4.5 लाख 6 महिने और बाकी 4.5 लाख रूपये अगले 6 महिने में देना तय हुआ था। उसके बाद बाबूलाल ने उक्त रूपये पूरण को नहीं दिए।

प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया कि यह कहना सही है कि पूरण ने उसके सामने बाबूलाल को पैसे नहीं दिये लेकिन गांव की मिटिंग में बाबूलाल व पूरण को आमने सामने बैठाया तो बाबूलाल ने पैसे देने की बात स्वीकार की थी। यह कहना गलत है कि वह मिटिंग में नहीं हो। मिटिंग में कई व्यक्तियों के हस्ताक्षर नहीं है इसलिए उक्त लिखा पढी में उसके भी हस्ताक्षर नहीं है। पूरण परिवार में उसका काका ताउ में चाचा लगता है।

11. **गवाह पी0ड0 3 मुक्ताराम** ने अपने सशपथ बयानो में न्यायालय के समक्ष कथन किया कि करीब 12–13 साल पहले की बात है। उनके गांव में पूरण योगी और बाबूलाल के बीच में पैसे को लेकर विवाद था। जिसको लेकर गांव में एक मिटिंग हुई थी। मिटिंग में वह भी गया था। मिटिंग में यह तय हुआ था कि बाबूलाल पूरण को 9 लाख रूपये देगा जिसकी गारंटी शंकर ने दी थी। उक्त पैसे बाबूलाल ने दिए या नहीं उसे नहीं पता। **प्रतिपरीक्षा** में गवाह ने कथन किया कि उसने कोई पैसे लेते देने नहीं देखा। उसके सामने बाबूलाल ने पूरण से कोई पैसे नहीं लिए। उसे नहीं पता कि इसकी कोई लिखा पढी भी हुई है या नहीं। यह कहना सही है कि वह सुनी सुनाई बात बता रहा है।

12. **गवाह पी0ड0 4 सूरजानाथ** ने अपने सशपथ बयानो में न्यायालय के समक्ष कथन किया कि उसे घटना के बारे में कुछ भी याद नहीं है। **जिस पर अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया जाकर की गई जिरह में** गवाह ने कथन किया कि पुलिस बयान प्रदर्श पी 2 का ए से बी भाग उसने पुलिस को नहीं दिया। यह कहना गलत है कि उसके सामने करीब 13 साल पहले उनके गांव में पूरण योगी ने बाबूलाल शर्मा से 18 लाख रूपये मांगने की मिटिंग की हो। यह कहना गलत है कि मिटिंग में उसके सामने बाबूलाल ने पूरण को 9 लाख रूपये एक साल में देने की बात कॉपी में लिखकर दी हो।

13. **गवाह पी0ड0 5 प्रहलाद** ने अपने सशपथ बयानो में न्यायालय के समक्ष कथन किया कि दिनांक 09.01.2013 को उनके गांव के पूरण योगी ने गांव के पंच पटेलो को इकटठा कर एक मिटिंग की थी। जिसमें बाबूलाल शर्मा को भी बुलाया था। पूरण ने कहा कि उसने बाबूलाल शर्मा को 18 लाख रूपये दिए थे जो उसे उसने पूरे रूपये अभी तक नहीं दिए। मिटिंग में बाबूलाल से पूछा गया था कि पूरण आपसे पैसे मांगता है क्या, तो बाबूलाल ने एक सादा कॉपी में लिखकर दिया था कि पूरण योगी उससे 9 लाख रूपये मांगता है बाकी पैसे उसने उसे दे दिए है। 9 लाख रूपये बाबूलाल द्वारा एक साल में देना तय हुआ था तथा बाबूलाल की तरफ

से शंकर लाल शर्मा जमानती बने थे। लिखापढी प्रदर्श पी 1 पर सी से डी उसके व ई से एफ बाबूलाल के हस्ताक्षर है तथा एक्स स्थान पर पूरणमल योगी की अंगूठा निशानी है। **प्रतिपरीक्षा** में गवाह ने कथन किया कि पूरण ने उसके सामने बाबूलाल को कोई रकम नहीं दी थी। उसके सामने पैसो बाबत कोई लिखा पढी नहीं हुई थी मिटिंग से पहले। उसे मिटिंग के लिए कोई बुलाने नहीं आया था। सार्वजनिक रूप से चला गया था अपने आप। मिटिंग में करीब 400–500 लोग उपस्थित हुए थे। मिटिंग 2–3 घंटे चली थी। मिटिंग में बाबूलाल व पूरण दोनों थे। मिटिंग में लिखापढी हुई थी और उसने दस्तखत भी किये थे। उस समय हस्ताक्षर पढकर किये होंगे आज ध्यान नहीं है। लिखापढी कितने पन्नो की थी ध्यान नहीं और लिखापढी सादे कागज पर थी। लिखापढी में कागज कितना भरा हुआ था उसे नहीं पता। उस बात को 10 साल हो गये। लिखापढी 9 लाख रूपये देना तय हुआ था। उसे पता नहीं है 9 लाख रूपये में ब्याज जोडा गया था कि नही। 9 लाख रूपये एक साल में देना तय हुआ था। उसके सामने कोई बात नही हुई कि पूरण ने बाबूलाल को नकद पैसा दिया था सामान दिया था। जमीन बेचान के पैसे देने बाबत मिटिंग हुई थी। वह थाने में गया था, उसके साथ बाबूलाल, चौथमल गया था और भी लोग गये थे उसे याद नहीं है। थाने में किस दिन गया वह तारीख याद नहीं है। थाने में 10–15 मिनट रूके थे। थाने वालो ने पूछताछ हुई थी, लिखापढी हुई हो तो पता नही है। उसके कोई हस्ताक्षर करवाये जो तो पता नहीं है। मिटिंग के बाद उसके सामने कभी कोई लोग इकटठा नहीं हुए ना ही कोई बात उसके सामने हुई।

14. **गवाह पी0ड0 6 चौथमल** ने अपने सशपथ बयानो में न्यायालय के समक्ष कथन किया कि उसके गांव के पूरणमल योगी व बाबूलाल शर्मा के पैसो के लेन देन को लेकर उनके गांव में मिटिंग हुई हो या लिखा पढी हुई हो तो उसके ध्यान में नहीं है। **जिस पर अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया जाकर की गई जिरह में** गवाह ने कथन किया कि दिनांक 09.01.2013 को उसके सामने बाबूलाल शर्मा ने उनके गांव में हुई मिटिंग में पूरण योगी को 9 लाख रूपये एक वर्ष में देने हेतु सादा कॉपी में लिखापढी पर उनके साईन करवाये हो तो उसे ध्यान नहीं है। प्रदर्श पी 1 पर जी से एच उसके हस्ताक्षर हो तो उसे ध्यान नहीं है। पुलिस बयान प्रदर्श पी 3 पर ए से बी पुलिस को दिया हो तो ध्यान नही है। यह कहना गलत है कि पूरण योगी बाबूलाल के 18 लाख रूपये मांगता हो।

15. **गवाह पी0ड0 7 बाबूलाल** ने अपने सशपथ बयानो में न्यायालय के समक्ष

कथन किया कि करीब 10–11 साल पहले उनके गांव के पूरण योगी ने बाबूलाल शर्मा से पैसे मांगने बाबत गांव में एक मिटिंग की थी। जिसमें वह भी गया था। जिसमें पूरण योगी व बाबूलाल के बीच 18 लाख रूपये लेन देन की बातचीत हुई थी। जिनमें हिसाब करने पर बाबूलाल शर्मा द्वारा पूरण योगी को देने बाबत शंकर लाल शर्मा ने जमानत दी थी। जिसकी लिखापढी एक सादा कॉपी में की गई थी। जो प्रदर्श पी 1 है। फिर बाबूलाल ने पूरण को पैसे दिये या नहीं उसे नहीं पता **प्रतिपरीक्षा** में गवाह ने कथन किया कि यह बात सही है कि पैसे का लेन देन उसके सामने नहीं हुआ था। उसे यह भी जानकारी नहीं है कि उन्होंने पैसे की लेन देन कर ली हो। यह बात सही है कि पूरण मर चुका है। यह बात सही है कि पैसे की लिखा पढी बाबत कोई कॉपी नहीं देखी। पूरण उसका चाचा लगता है गांव के हिसाब से। उसके पुलिस में कोई बयान नहीं हुए।

16. **गवाह पी0ड0 8 ओमप्रकाश** ने अपने सशपथ बयानो में न्यायालय के समक्ष कथन किया कि करीब 12–13 साल पहले उनके गांव में पूरण योगी ने बाबूलाल शर्मा से 18 लाख रूपये मांगने बाबत मिटिंग की थी। जिसमें वह भी गया था तथा उनके गांव के बहुत से व्यक्ति थे। मिटिंग में उनका हिसाब करने पर बाबूलाल शर्मा द्वारा पूरण योगी को 9 लाख रूपये देना तय हुआ था। जिस बाबत बाबूलाल शर्मा की तरफ से शंकर शर्मा ने जमानत दी थी कि बाबूलाल शर्मा ने पैसे नहीं दिये तो 9 लाख रूपये एक वर्ष में वह देगा। जिस बाबत सादा कॉपी में लिखा पढी हुई थी। बाद में बाबूलाल शर्मा ने पूरण योगी ने पैसे दिये या नहीं वह नहीं बता सकता। **प्रतिपरीक्षा** में गवाह ने कथन किया कि यह बात सही है कि उसके सामने कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ था। लिखापढी पर उसने कोई हस्ताक्षर नहीं किए। वह सुनी सुनाई बात बता रहा है।

17. **गवाह पी0ड0 9 रामू जोगी** ने अपने सशपथ बयानो में न्यायालय के समक्ष कथन किया कि वर्ष 2011 में पूरणमल योगी पुत्र सोमनाथ ने अपनी जमीन गुडगांव के एक व्यक्ति को 18 लाख रूपये में बेची थी। उक्त 18 लाख रूपये पूरण योगी ने अपने मित्र बाबूलाल शर्मा पुत्र पांचूराम शर्मा निवासी नाथूसर को रखने के लिए दिए थे। जब भी उसे जरूरत होगी तो वह उक्त रूपये वापस ले लेगा। बाबूलाल ने लगभग 2 साल में पूरण को 3–4 लाख रूपये दिए थे। उसके बाद पूरण व बाबूलाल के आपस में विवाद हो गया थ। उसके बाद पूरण योगी ने दिनांक 01.09. 2013 को उनके गांव नाथूसर में बाबूलाल से पैसे लेने बाबत पंच पटेलो को इकटठा किया था। उक्त पंचायत में वह भी गया था तथा उसमें उनके गांव के 20–25

व्यक्ति थे तथा अन्य गांव के व्यक्ति थे। पंचायत में बाबूलाल शर्मा व पूरण योगी दोनों उपस्थित थे। जिनका हिसाब करने पर बाबूलाल शर्मा द्वारा पूरण योगी को 9 लाख रूपये देना तय हुआ था। जिस बाबत एक कॉपी में लाइनदार पन्नो पर लिखा पढी हुई थी। जिसमें बाबूलाल द्वारा 9 लाख रूपये एक साल में देना तय हुआ था। बाबूलाल की तरफ से शंकर लाल शर्मा पुत्र जीवनराम शर्मा ने 9 लाख रूपये देने की जमानत पंचायत पटेलो के सामने दी थी। जिस लिखा पढी पर बाबूलाल व पूरण योगी व गवाहों ने हस्ताक्षर किए थे। बाबूलाल ने पूरण योगी को उक्त 9 लाख रूपये आज तक नहीं दिए ना ही शंकर लाल शर्मा ने दिए। बाबूलाल द्वारा पैसे नहीं देने पर पूरण योगी ने केस कर दिया था। **प्रतिपरीक्षा** में गवाह ने कथन किया कि उसने पूरण योगी ने बाबूलाल को पैसे देते हुए देखा है। पैसा गांव नाथूसर में दिया था। किस तारीख को दिया था उसे याद नही है। पैसा जब दिया था उस समय बाबूलाल व उसके परिवार वाले थे। पैसो के नोट किस प्रकार थे 500 के थे या 1000 के थे। पैसे देते समय आपस में कोई लिखापढी नहीं हुई थी। उसे नहीं पता कि बाबूलाल ने पूरणमल को पैसा लौटा दिया हो। वह यह नहीं बता सकता कि पूरण ने दोबारा पैसा मांगा हो ओर विवाद हुआ हो। पैसो बाबत पंचायत वर्ष 2013 में हुई थी लेकिन उसकी तारीख नहीं बता सकता। पंचायत में 50–60 आदमी मौजूद थे। पंचायत करीब 10 से 04.30 बजे तक चली थी। उस पंचायत में एक कॉपी में लिखापढी हुई थी, उसके भी दस्तखत करवाये थे। कॉपी में एक पन्ना पूरा भरा था एक आधा भरा हुआ था। उसने पढकर हस्ताक्षर किये थे। पंचायत में यह तय हुआ था यह पैसा जमीनी विवाद का था।

18. **गवाह पी0ड0 10 हरिओम** ने अपने सशपथ बयानो में न्यायालय के समक्ष कथन किया कि वह दिनांक 25.03.2014 को थाना थानागाजी में कांस्टेबल के पद पर तैनात था उस दिन एफआईआर संख्या 34/2015 में परिवादी पूरण योगी द्वारा एक लाइनदार कॉपी जिस पर मयूरा लिखा हुआ था जिसके बीच में रूपयो के देने बाबत लिखित में लिखावट थी जिमसें गवाह के हस्ताक्षर व आरोपी के हस्ताक्षर थे। उक्त कॉपी को पूरण योगी द्वारा एसएचओ सचिन शर्मा के समक्ष पेश की थी। जिसे जरिये फर्द प्रदर्श पी 5 उसके व रामू योगी के सामने जब्त किया था। जब्त कॉपी प्रदर्श पी 1 है जिन पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त प्रकरण में सचिन शर्मा द्वारा उसके व कांस्टेबल रामरतन के सामने मुल्जिम बाबूलाल शर्मा को जरिये फर्द प्रदर्श पी 6 के गिरफतार किया था। **प्रतिपरीक्षा** में गवाह ने कथन किया कि एसएचओ साहब ने दोपहर के समय कॉपी जब्त की थी। कॉपी भरी हुई थी

जिसमें पैसो का हिसाब लिखा हुआ था। वह यह नहीं बता सकता कि कॉपी में किन–किन का हिसाब लिखा हुआ थ। कॉपी में क्या लिखा था उसने नहीं पढा। कॉपी जब्ती की कार्यवाही और मुल्जिम की गिरफतारी अलग अलग दिन की है। मुल्जिम की गिरफतारी थाने पर की थी। गिरफतारी के समय वह मौजूद था। उसके अलावा कांस्टेबल रामरतन था।

19. **गवाह पी0ड0 11 सचिन शर्मा** ने अपने सशपथ बयानो में न्यायालय के समक्ष कथन किया कि वह वह दिनांक 14.02.2015 को थाना थानागाजी में एसएचओ के पद पर कार्यरत था। उस दिन जरिये डाक एक परिवाद प्रदर्श पी 7 न्यायालय से प्राप्त हुआ था जिस पर उसके द्वारा ए से बी कार्यवाही पुलिस अंकित कर एफआईआर संख्या 34/15 धारा 420, 406 में दर्ज कर अनुसंधान स्वयं के जिम्मे किया था जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है जिसकी चाक एफआईआर प्रदर्श पी 8 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान परिवादी पूरण योगी व गवाह प्रहलाद योगी, बाबूलाल योगी, रामू जोगी, मामराज जोगी, ओमप्रकाश, सूजानाथ, गिरधारी, मुक्ताप्रसाद, चौथमल, बनवारी लाल, शंकर लाल के बयान उनके कहे अनुसार उसके द्वारा लेखबद्ध किये थे। परिवादी पूरण योगी द्वारा पेश कए कॉपी जिसमें दिनांक 09.01.2023 को ग्राम नाथूसर में ग्रामीणो की बैठक में आरोपी बाबूलाल द्वारा एक वर्ष में 9 लाख रूपये बाबूलाल को लौटाने की लिखित की हुई थी। जिसे बतौर वजह सबूत उसके द्वारा जरिये फर्द प्रदर्श पी 5 के जब्त किया था जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है सी से डी गवाह रामू जोगी के हस्ताक्षर एवं एक्स स्थान पर बाबूलाल की अंगूठा निशानी है। जब्त असल कॉपी प्रदर्श पी 1 है। मुल्जिम ओमप्रकाश के विरूद्ध धारा 406, 420 भा.द.सं. का प्रमाणित पाये जाने पर उसे उसके द्वारा गवाहो के सामने जरिये फर्द प्रदर्श पी 6 के गिरफतार किया था। जैर हिरासत मुल्जिम बाबूलाल ने स्वच्छेया इत्तला दी कि उसने 9 लाख रूपये अपनी जरूरत व दैनिक उपयोग में खर्च कर दिया है। जो इत्तला प्रदर्श पी 9 है जिस पर ए से बी उसके व सी से डी मुल्जिम के हस्ताक्षर है। संपूर्ण अनुसंधान से मुल्जिम बाबूलाल के विरूद्ध अपराध धारा 406, 420 भा.द.सं. प्रमाणित पाये जाने पर उसके द्वारा उक्त मुल्जिम के विरूद्ध आरोप पत्र पेश किया। **प्रतिपरीक्षा** में गवाह ने कथन किया कि यह कहना सही है कि परिवादी ने उसके समक्ष कोई तहरीरी रिपोर्ट पेश नहीं की थी। उसने एफआईआर की तारीख से अनुसंधान शुरू किया था। उसने चार्जशीट पेश होने तक अनुसंधान किया था। यह सही है कि स्वतंत्र गवाहो के बयान उसने स्वयं ने लिए थे। जिन गवाहो के नाम

मुख्य परीक्षण में लिखवा रखे है। सभी गवाहो के बयान थाने पर लिये थे। बाबूलाल व परिवादी के पैसो के लेन देन का मामला था। और किसी लेन का पता नहीं। बाबूलाल ने पैसा नकद लिया था। उक्त पैसो के लेन देन बाबत एक सादा कॉपी में सादा कागज पर लिखापढी थी। सादा कागज पर जो लिखापढी थी उस पर मुल्जिम के भी हस्ताक्षर है। यह कहना सही है कि उक्त लिखापढी पर जो बाबूलाल के हस्ताक्षर थे उनकी उसके द्वारा एफएसएल जांच नहीं करवाई गई थी क्योंकि कॉपी में अंकित गवाहान से दरियाफत पर यह सुनिश्चित हो गया था कि यह बाबूलाल के हस्ताक्षर है जो उसने पैसो की लिखापढी बाबत कॉपी देखी थी उसमें केवल बाबूलाल के पैसो बाबत लिखापढी थी अन्य किसी से पैसे लेने बाबत लिखापढी नहीं थी। परिवादी व आरोपी के मध्य 18 लाख रूपये का लेन देन हुआ था। जिसमें आरोपी की तरफ 9 लाख रूपये शेष थे। यह कहना सही है कि प्रकरण 406, 420 में पंजीबद्ध हुआ था मनी लांड्रिग में उसे अनुसंधान करने का अधिकार नहीं था और ना ही मनी लांड्रिग की साक्ष्य उसके समक्ष आई। परिवादी के पास पैसे ब्याज पर देने बाबत उसने कोई लाईसेंस नहीं देखा। यदि उक्त पैसो बाबत परिवादी व आरोपी के मध्य इन्हीं पैसो बाबत कोई सिविल वाद न्यायालय में चल रहा हो तो उसे पता नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो के आधार पर उसने अनुसंधान में मुल्जिम के विरूद्ध यह तय किया कि मुल्जिम की मंशा व नियत खराब थी। यह कहना गलत है कि उक्त मामला पैसो के लेन देन का सिविल मामला था और उसने मुल्जिम को जबरदस्ती मुकदमे में फंसाया हो।

20. इस प्रकार प्रकरण में आई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अभियुक्त बाबूलाल पर धारा 420, 406 भा.दं.सं. के अंतर्गत अपराध का आरोप है। परिवाद पत्र प्रदर्श पी 7 के मुताबिक अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी ने अपनी खातेदारी की आराजीयात को विक्रय कर 18 लाख रूपये प्राप्त किये थे जो कि उसने अभियुक्त संख्या 1 बाबूलाल को उसके द्वारा दिये गये आश्वासन की वह उपरोक्त 18 लाख रूपये की राशि से परिवादी के पुत्र व पुत्रीयों के नाम एफडी करवा देगा और एफडी नहीं कराने की सूरत में 2 रूपये प्रति सैंकडा प्रति माह से अदा करेगा। परिवादी ने 18 लाख रूपये अभियुक्त को दे दिये। बाद में अभियुक्त संख्या 1 बाबूलाल ने ना कोई एफडी करवाई ओर ना ही उसकी राशि अदा की। बाद में मकान निर्माण के समय 4 लाख रूपये अभियुक्त ने परिवादी को अदा कर दिये। तत्पश्चात परिवादी को कोई रूपये नही मिले और कोई ब्याज अदा नही करने पर दिनांक 09.01.2013 को गांव में एक

पंचायत बुलाई गई जिसमें अभियुक्त बाबूलाल ने पंचायत के निर्णय को मानते हुए 9 लाख रूपये की राशि बकाया होना मानते हुए मिटिंग में यह तय हुआ कि अभियुक्त 2 दो लाख रूपये वैशाख 2013 मे देगा तथा 7 लाख रूपये दिनांक 09.01.2014 से पूर्व अभियुक्त संख्या 2 शंकर लाल अदा करेगा तथा दिनांक 09.01.2014 से पूर्व अभियुक्त 9 लाख रूपये अदा नही करेगा तो परिवादी 9 लाख रूपये पर दिनांक 09. 01.2013 से दो रूपये सैंकडा प्रति माहवार की दर से ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी होगा। जिसके बाद उसने दिनांक 09.01.2013 के पश्चात से कोई कोई रूपये अदा नही किये और परिवादी ने दिनांक 06.12.2014 को तकाजा किया तो अभियुक्त ने पैसे देने से मना कर दिया जिस पर दिनांक 08.12.2014 को परिवादी द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस भिजवाए जाने पर अभियुक्त द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर अपने अधिवक्ता से जवाब भिजवाया गया और तत्पश्चात् दिनांक 03.01.2015 को पूर्ण रूप से परिवादी की राशि अदायगी से इंकार कर दिया। आदि अभियोजन कहानी के आधार पर अभियुक्त पर अभियोजन का मामला दर्ज होना दर्शित है।

21. प्रकरण में सर्वप्रथम अभियुक्त पर धारा 420 भा.दं.सं. के अपराध के आरोप के युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होने की स्थिति देखी जाए तो प्रकरण में धारा 420 भा.दं.सं. में निम्नानुसार प्रावधान है कि :– 420. Cheating and dishonestly inducing delivery of property.— Whoever cheats and thereby dishonestly induces the person deceived to deliver any property to any person, or to make, alter or destroy the whole or any part of a valuable security, or anything which is signed or sealed, and which is capable of being converted into a valuable security, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

22. इस प्रकार उपरोक्त धारा 420 भा.दं.सं. के अंतर्गत अपराध के आवश्यक तत्वो के प्रकाश में प्रकरण पर आई साक्ष्य का विश्लेषण करने पर यह प्रकट होता है कि प्रकरण में परिवाद प्रदर्श पी 7 के मुताबिक परिवादी ने 18 लाख रूपये अभियुक्त बाबूलाल को बच्चो की एफडी कराने के लिए दिये थे जो कि एफडी नहीं कराने की सूरत में 2 रूपये प्रति सैंकडा के हिसाब से अभियुक्त को परिवादी को लौटाने थे। प्रकरण में स्वयं परिवाद में यह स्वीकार किया गया है कि अभियुक्त ने 4 लाख रूपये परिवादी को अदा कर दिये थे। इसी क्रम में परिवाद में यह भी अंकित है कि पंचायत में हुई मिटिंग में अभियुक्त ने 9 लाख रूपये बकाया होना स्वीकार किया था। जिसके संबंध में प्रदर्श पी 1 के रूप में मिटिंग की लिखापढी जो कि एक

कोपी में होना दर्शित है, को अभियोजन ने प्रदर्शित करवाया है। जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि इस मिटिंग की लिखावट में कहीं भी पैसा किस उददेश्य से दिया गया था, ऐसा उल्लेख नहीं है। मात्र परिवादी का अभियुक्त पर पैसा बकाया होने का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त अभियोजन के किसी भी गवाह ने ऐसी साक्ष्य नहीं दी है कि अभियुक्त ने परिवादी से पैसा परिवादी के बच्चो की एफडी कराने का आश्वासन देकर लिये थे। इसके अतिरिक्त स्वयं परिवादी ने यह स्वीकार किया है कि उसे 4 लाख रूपये मकान निर्माण के समय अभियुक्त ने दिये थे। अतः प्रकरण में परिवादी व अभियुक्त के मध्य रूपयो की अदायगी के संबंध में पंचायत/गांव की बैठक में हुए लिखित हिसाब और कोपी में पैसो की अदायगी के संबंध में समय का निर्धारण करना स्वतः भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अंतर्गत अपराध का गठन नहीं करता है। **क्योंकि सर्वप्रथम छल को साबित करने के लिए यह साबित करना अनिवार्य है कि आरोपी की शुरूआत से ही धोखा देने की नियत (Fraudulent Intention To Deceive) थी और उसी के कारण पैसा लिया गया।** केवल बाद में पैसा ना लौटाना, हिसाब में बकाया पैसा रह जाना या अभियुक्त की वित्तिय चूक (Financial Default) आपराधिक छल नहीं माना जा सकता। प्रकरण में परिवादी व अभियुक्त बाबूलाल के बीच हिसाब किताब की लिखित स्वीकृति (Acknowledgement) और अभियुक्त के परिवादी के प्रति 9 लाख रूपये शेष होने व इस बाबत अभियुक्त की देयता (Liability) एवं इस बाबत परिवादी व अभियुक्त के मध्य सहमति होना दर्शित है। जो कि प्रदर्श पी 1 मिटिंग के विवरण से भी स्पष्ट है। जिसके क्रम में अभियुक्त की ओर से पैसे की अदायगी में चूक होना प्रारंभ से ही अभियुक्त का धोखे का स्पष्ट आशय नहीं दिखाता है। क्योंकि परिवादी स्वयं के मुताबिक उसे पूर्व में 4 लाख रूपये अभियुक्त ने अदा किये थे। ऐसे में धारा 420 भारतीय दंड संहिता के अपराध के स्थापित होने के लिए अभियुक्त का प्रारंभ से ही छल करने का आशय प्रकट होना चाहिए। **अतः अभियोजन की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से प्रकरण में धारा 420 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आवश्यक तथ्य स्थापित नहीं होते है ओर इस कारण अभियुक्त बाबूलाल पर धारा 420 भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध का आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है।**

23. प्रकरण में जहां तक अभियुक्त पर धारा 406 भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध के आरोप की प्रमाणित होने का प्रश्न है तो प्रकरण में अभियोजन की ओर से मिटिंग में हुए पैसे के लेन देन के हिसाब किताब के संबंध में लिखावट प्रदर्श पी 1 के रूप में

प्रदर्शित हुई है जिसमें निम्नानुसार लिखा होना अंकित है :–***"आज दिनांक 09.01.2013 को पूरे गांव के सामने फैसला हुआ कि बाबूलाल पुत्र श्री पांचूराम शर्मा, 2 पूरण पुत्र सोहन लाल योगी को 2 लाख रूपये बैसाख में देना है। बाकी तारीख 09.01.2014 से पहले पहले देने का फैसला लिया गया है। यह फैसला पूरे गांव के सामने लिया गया है व होश हवास व बिना नशा पत्ता से लिया गया है। बाकी रूपये 7 लाख रूपये शंकर पुत्र श्री जीवनराम शर्मा देना तय हुआ। यदि एक दिन भी इससे उपर हुआ तो 9 लाख रूपये का ब्याज 09.01.2013 से लागू होगा जो पूरी रकम शंकर पुत्र श्री जीवन शर्मा देगा।"*** इस प्रदर्श पी 1 लिखावट को पी0ड0 1 गिरधारी ने तथा पी0ड0 5 प्रहलाद ने एवं पी0ड0 9 रामू जोगी ने अपने बयानो से प्रमाणित किया है तथा इन गवाहान ने उक्त कोपी में लिखी लिखावट पर अपने हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है तथा स्पष्टतः गवाह पी0ड0 5 प्रहलाद ने साक्ष्य दी है कि दिनांक 09.01.2013 को परिवादी पूरण योगी ने गांव के पंच पटेलो को इकट्ठा कर मिटिंग बुलाई थी जिसमे बाबूलाल को बुलाया था जिसमें पूरण योगी ने कहा था कि उसने बाबूलाल शर्मा को 18 लाख रूपये दिये थे जो बाबूलाल ने उसे नहीं लौटाए एवं उक्त प्रदर्श पी 1 लिखावट पर परिवादी पूरण व बाबूलाल ने हस्ताक्षर किये थे। परिवादी पी0ड0 9 रामू जोगी ने अपनी साक्ष्य में स्पष्ट साक्ष्य दी है कि वर्ष 2011 में पूरण ने अपनी जमीन गुडगांव के व्यक्ति को 18 लाख रूपये में बेची थी और 18 लाख रूपये पूरण योगी ने अपने मित्र बाबूलाल शर्मा पुत्र पांचूराम निवासी नाथूसर को रखने के लिए दिये थे और यह कहा था कि जब भी रूपयो की जरूरत होगी वह रूपये वापस ले लेगा। प्रकरण में अन्य गवाहान पी0ड0 2 मामराज, पी0ड0 3 मुक्ताराम, पी0ड0 7 बाबूलाल, पी0ड0 8 ओमप्रकाश ने भी पंचायत की मिटिंग होने की ताईद की है और यह भी कहा है कि मिटिंग में यह तय हुआ था कि बाबूलाल पूरण को 9 लाख रूपये देगा जिसकी गारंटी शंकर ने दी थी। परंतु प्रदर्श पी 1 लिखावट में शंकर का गारंटर होने बाबत कोई अंकन नही है। बल्कि यह स्पष्ट अंकित है कि पूरण योगी को 2 लाख रूपये वैशाख में देना है बाकी तारीख 09.01.2014 से पहले पहले देने का फैसला लिया गया है। बाकी रूपये 7 लाख शंकर लाल पुत्र श्री जीवनराम शर्मा द्वारा देना तय होना दर्शित होता है। इसके अतिरिक्त यदि एक दिन भी उपर होने की स्थिति में 9 लाख रूपये का ब्याज 09.01.2013 से लागू होने और पूरी रकम शंकर द्वारा दी जायेगी का अंकन है। यानि की इस लिखावट प्रदर्श पी 1 पर किये गये फैसले के मुताबिक सर्वप्रथम वैशाख तक 2 लाख रूपये परिवादी को देने की जिम्मेदारी अभियुक्त की थी।

हालांकि शेष 7 लाख रूपये शंकर लाल के द्वारा देने की जिम्मेदारी तय होना दर्शित है। बचाव पक्ष का यह उज्र रहा है कि प्रकरण में शंकर लाल मुल्जिम नहीं है और **बाकी पैसे उसी को देने थे। यहां यह उल्लेखनीय है कि बचाव पक्ष यह उज्र लेकर कि अन्य व्यक्ति जिसको पैसे देने थे वह प्रकरण में मुल्जिम नही है, केवल इस आधार पर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नही हो सकता।** क्योंकि स्पष्ट रूप से प्रदर्श पी 1 में 2 लाख रूपये वैशाख तक देने का दायित्व अभियुक्त बाबूलाल पर रखा गया था। जिसको अभियोजन के गवाहान ने अपनी अखण्डित साक्ष्य से प्रमाणित किया है। हालांक बचाव पक्ष ने लिखावट प्रदर्श पी 1 पर अभियुक्त बाबूलाल के हस्ताक्षर होने बाबत कोई एफएसएल नहीं होने बाबत उज्र लिया है। परंतु यह उज्र स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि अनुसंधान अधिकारी ने भी स्पष्ट कहा है कि मिटिंग के गवाहान ने अभियुक्त बाबूलाल व परिवादी के मध्यमिटिंग होने की और अभियोजन गवाहान ने भी मिटिंग होने व परिवादी व अभियुक्त के मध्य पैसे बकाया होने व अदायगी कैसे की जायेगी इस बाबत सहमति होने की पुष्टि की है।**इस प्रकार प्रकरण में प्रदर्श पी 1 लिखावट जो कि बिना किसी युक्तियुक्त संदेह के प्रमाणित है, के आधार पर इस तथ्य में कोई संदेह नहीं है कि अभियुक्त बाबूलाल पर परिवादी के 9 लाख रूपये बकाया थे**परंतु प्रदर्श पी1मिटिंग की शर्तो के मुताबिक इन 9 लाख रूपयो को अभियुक्त द्वारा या अन्य किसी अन्य व्यक्ति शंकर द्वारा परिवादी को अदा कर दिया गया हो, ऐसी साक्ष्य पत्रावली पर नहीं आई है।

24. **अब प्रश्न यह आता है कि क्या परिवादी ने अभियुक्त बाबूलाल को पैसा अमानत (Entrustment) के रूप में किसी विशेष उददेश्य के लिए दिया था या अन्य रूप में ?** इस संबंध में समस्त साक्षीयों एवं तथ्यों का समग्र रूप से विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण में परिवादी/शिकायतकर्ता द्वारा अपने परिवाद में यह कथन किया गया है कि 18 लाख रूपये की राशि उसने अपने बच्चो की एफडी कराने हेतु अभियुक्त बाबूलाल को दिये थे, किन्तु इस कथन के समर्थन में कोई स्वतंत्र दस्तावेजी साक्ष्य एफडी संबंधित कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है और अभियोजान गवाहन के बयान भी आपस में विरोधाभास है। एक गवाह पी0ड0 9 रामू जोगी परिवादी द्वारा अभियुक्त को पैसा रखने के लिए देना बताता है तथा यही गवाह अपनी जिरह में जाहिर करता है कि पंचायत मे यह तय हुआ था कि यह पैसा जमीनी विवाद का था। तथा वहीं गवाह पी0ड0 5 प्रहलाद ने जिरह में बोला है कि जमीन के पैसे देने बाबत मिटिंग हुई थी। इसके अतिरिक्त परिवाद प्रदर्श पी 7 में यह उल्लेख है कि यदि एफडी नहीं कराई जाती है तो राशि ब्याज सहित

लौटाई जावेगी जो लेन देन को विश्वास पूर्वक सौंपना (Fiduciary Entrustment) की अपेक्षा एक वित्तीय/ऋण संबंधी प्रकृति को दर्शाता है। जिससे न्यास्त की प्रकृति संदिग्ध हो जाती है। जबकि धारा 406 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध का मूल आधार संपत्ति को न्यास्त करना है। यहां यह उल्लेखनीय है कि विधि में यह सुस्थापित है कि केवल अनुबंध का उल्लंघन या वित्तिय देनदारी का ना निभाया जाना स्वतः अपराधिक न्यास भंग नहीं बनाता। धारा 405/406 भारतीय दंड संहिता के लिए यह सिद्ध होना आवश्यक है कि संपत्ति किसी विशेष उददेश्य हेतु विश्वासपूर्वक आरोपी को सौंपी गई थी। इस मामले में अभियुक्त द्वारा परिवादी को आंशिक अदायगी, पंचायत में 9 लाख रूपये बकाया होने की स्वीकारोक्ति तथा भुगतान की समय सारणी का निर्धारण यह दर्शाता है कि पक्षो के मध्य विवाद का समझौता/वित्तिय समायोजन का है। इस प्रकरण में परिवादी की मृत्यु हो चुकी है। जिसकी सारभूत साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। तथा प्रकरण में परीक्षित किसी अन्य गवाह ने भी यह सिद्ध नहीं किया है कि राशि बच्चो की एफडी कराने हेतु दी गई थी। इसके अतिक्ति प्रदर्श पी 7 परिवाद में यह लिखा जाना कि अभियुक्त एफडी नहीं कराने पर ब्याज सहित पैसा लौटायेगा, मामले को स्वतः लेन देन ऋण/वित्तिय समझौता जैसा प्रकट करता है। इसके अतिरिक्त एफडी के लिए पैसा अभियुक्त को दिया गया हो, इसे भी अभियोजन पक्ष अपनी साक्ष्य से साबित नहीं कर पाया है।

25. इस प्रकार प्रकरण में अभियोजन पक्ष का परिवादी द्वारा अभियुक्त को एफडी कराने के लिए रूपयो को अभियुक्त को सुपुर्द को प्रमाणित करने के लिए सुदृढ साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रकरण में अभियोजन साक्ष्य से दोनों पक्षो में लेन देन की प्रकृति ऋण/वित्तिय समझौते जैसी प्रतीत होती है तथा पंचायत समझौता तथा आंशिक भुगतान से भी मामले का सिविल प्रकृति का होना प्रकट होता है। **इस प्रकार प्रकरण में अभियुक्त पर लगाये गये आरोप कि परिवादी ने अभियुक्त को एफडी कराने के लिए पैसा दिया था,** इसे अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कर पाया है। अतः प्रकरण में यह तो प्रमाणित है कि अभियुक्त पर परिवादी के पैसे बकाया थे। परंतु अभियोजन साक्ष्य से परिवादी व अभियुक्त के मध्य केवल सिविल धन विवाद (Civil money dispute) स्पष्ट हुआ है। अतः संपूर्ण साक्ष्य, गवाहो के विरोधाभासी कथन एवं परिवादी व अभियुक्त के मध्य लेन देन की प्रकृति को देखते हुए न्यायालय इस निष्कर्ष पर आता है कि अभियोजन पक्ष किसी विशेष उददेश्य के लिए परिवादी ने पैसा

अभियुक्त को न्यास्त (Entrust) किया हो, यह युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में अभियोजन पक्ष असफल रहा है। जिस कारण अभियुक्त पर धारा 406 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध का आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नही माना जा सकता। ऐसे में धारा 406 भारतीय दंड संहिता के अपराध का आरोप भी अभियुक्त बाबूलाल पर युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है।

26. अतः उपरोक्त संपूर्ण साक्ष्य विवेचन के आधार पर अभियोजन पक्ष अपनी कहानी को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्त को धारा 420, 406 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाना न्यायालय न्यायोचित पाता है।

—:: <u>आदेश</u> ::—

27. परिणामतः अभियुक्त बाबूलाल शर्मा पुत्र पांचू राम शर्मा निवासी ग्राम नाथूसर तहसील थानागाजी जिला अलवर, राज. को धारा 420, 406 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत अपराध के आरोप से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त घोषित किया जाता हैं।

28. अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थिति बाबत् जमानत एवं मुचलके निरस्त किए जाते है।

(मनोज कुमार)
अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
थानागाजी, अलवर

29. निर्णय आज दिनांक 30.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मुद्रांकित किया गया।

(मनोज कुमार)
अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
थानागाजी, अलवर